

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

पत्र संख्या-एम0ई0-3 / नर्सिंग-2022 / 2357

लखनऊ: दिनांक 08 अक्टूबर, 2022

सामान्य दिशा-निर्देश

B.Sc Nursing Counselling- 2022

- **पंजीकरण (REGISTRATION):** अभ्यर्थी को B.Sc Nursing Counselling हेतु ऑन-लाइन पंजीकरण की प्रक्रिया www.nursing.upsdc.gov.in वेबसाइट पर दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण करना होगा।
- 1. अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवंटित रोल नम्बर एवं रजिस्ट्रेशन नं० का उपयोग कर वेबसाइट पर लॉग-इन किया जायेगा।
- 2. अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑन-लाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क रू० 500/- (Non-refundable) तथा धरोहर धनराशि (सिक्योरिटी मनी) रू० 5,000/- जमा किया जाना आवश्यक होगा। धरोहर धनराशि जमा न किये जाने के दशा में अभ्यर्थी च्वाइस लॉक के लिए अर्ह नहीं होगा।
- 3. वेबसाइट पर ऑनलाईन वरीयताक्रम में विकल्प भरने के (choice filling) पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य होगा। च्वाइस लॉक करने के पश्चात् च्वाइस का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है।
- 4. यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग पश्चात् आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो जमा सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रतिभाग करना चाहता है उसे पुनः सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी।
- 5. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरान्त ही द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग द्वारा सीट अपग्रेड हेतु अर्ह होंगे।
- 6. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर कोई भी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग द्वारा Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8. Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेश ली गयी सीट यथावत् बनी रहेगी।
- 9. काउंसिलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि (सिक्योरिटी मनी) वापस की जायेगी।
- 10. काउंसिलिंग में अभ्यर्थी को सीट आवंटन न होने की दशा में धरोहर धनराशि (सिक्योरिटी मनी) वापस कर दी जायेगी।
- 11. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है, तो उसे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी

होगी अन्यथा की दशा में उसका आवंटन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीटों को रिक्त मानते हुए मॉपअप द्वारा आवंटित कर दिया जायेगा ।

12. अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रवेशित कालेज में हॉस्टल फीस तथा अन्य मिसलीनियस फीस द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त ही जमा की जायेगी।
13. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र काउंसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें पुनः अपना रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है।
14. ऐसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया परन्तु किसी कारणों से रजिस्ट्रेशन शुल्क/धरोहर धनराशि नहीं जमा कर सकते हैं, वे निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क/धरोहर धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं।
15. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके, वे अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क व सिक्योरिटी मनी जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
16. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है, उनको पूर्व के कालेज से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन आवंटित कालेज पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
17. आवंटन के पश्चात् सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आवंटन-पत्र पर अंकित आवंटित कालेज पर पूर्ण की जाएगी।
18. आवंटित संस्था/कालेज द्वारा प्रवेश देने से पहले अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच तथा अभिलेखों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। अभिलेखों की जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।
19. राजकीय क्षेत्र के नर्सिंग कालेजों हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजों हेतु अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे।
20. निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने स्तर से कालेज/फीस/अन्य व्ययों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें।
21. **Minimum Qualifying marks for entrance Examination are 50% (100 Mark) for unreserved (UR)/EWS category and 40% (80 Mark) for SC/ST and OBC category.**
22. अद्यतन एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें विभागीय वेबसाइट www.nursing.upsdc.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर देखी जा सकती है।

23 Minimum qualifications for Admission (as per latest INC regulation)-

- a) Candidates with Science who have passed qualifying 12th Standard examination (10+2) and must have obtained a minimum of 45% marks in Physics, Chemistry and Biology (PCB) taken together and passed in English individually from any recognized board. However, a relaxation of 5% of total marks in core subjects (PCB) in (10+2) will be given for SC/ST and OBC candidates. For such candidates minimum marks should be 40% instead of 45%.

- b) Candidates are also eligible from State Open School recognized by State Government and National Institute of Open School (NIOS) recognized by central government having Science subjects and English only.
- c) English is a compulsory subject in (10+2) for eligibility for admission in B.Sc. Nursing.
- d) Colour-blind Candidates are eligible provided that colour corrective contact lens and spectacles are worn by such candidate.
- e) The selection of candidate will be subjected to medical fitness. No selected candidate will be permitted to join the course unless declared medically fit by the Medical Board of the college. The decision of the Medical Board shall be final.

24 Reservation policy:

- a) **Reservation as per the Government of Uttar Pradesh reservation policy.**
- b) Reservation for disability (PH): 5% Horizontal reservation will be considered for disabled candidates with a disability of locomotor to the tune of 40% to the 50 % of the lower extremity and other eligibility criteria with regard to qualification will be same as prescribed for Unreserved (UR) category candidates. (The Gazette of India No 275 date 05th July 2021)
- c) **Caste certificate issued ONLY by the competent authority of UP government are acceptable.**
- d) If the information furnished by the applicant is found to be incorrect at any stage of admission, the applicant's candidature and admission to that course shall stand cancelled.

महानिदेशक ।